छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

कमांक / पंचा.–1536 / शिक्षा / 2017 / 424 नया रायपुर, दिनांक 11.08.17

प्रति,

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत छत्तीसगढ़

विषय :– सेवा मे कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक (पं.) संवर्ग को स्वयं के व्यय से बी.एड./डी.एड./बी.एल.एड. की योग्यता हासिल करने हेतु अवैतनिक अध्ययन अवकाश प्रदान करने के संबंध में ।

छत्तीसगढ़ पंचायत शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2007 एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक (पं.) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2012 में छूट दिये जाने के फलस्वरूप बहुत से अभ्यर्थियों को बी.एड./डी.एड./बी.एल.एड. की योग्यता के बिना ही शिक्षक (पं.) संवर्ग के पदों पर जिला/जनपद पंचायतों द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ शिक्षक (पं.) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2012 में बी.एड./डी.एड./बी.एल.एड. की यह छूट 31 मार्च 2014 तक प्रभावशील रहने तथा इस छूट के फलस्वरूप नियुक्त शिक्षक (पं.) के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर न्यूनतम अर्हता ग्रहण करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। वर्तमान में ऐसे बहुत से शिक्षक (पं.) संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत है, जो प्रशिक्षित नहीं है, उन्हें प्रशिक्षित कराया जाना आवश्यक है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सेवा में पदस्थ ऐसे शिक्षक (पं.) संवर्ग के कर्मचारी, जो को बी.एड./डी.एड./बी.एल.एड. की योग्यता नहीं रखते है तथा वे स्वयं के व्यय से को बी.एड./डी.एड./बी.एल.एड. करना चाहते है, उन्हें उक्त योग्यता हासिल करने हेतु अध्ययन अवकाश प्रदान की जावेगी ।

सेवा में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक (पं.) संवर्ग के कर्मचारियों को स्वयं के व्यय से बी.एड./डी.एड./बी.एल.एड. की योग्यता हासिल करने हेतु निम्नलिखित शर्ते होगी :–

1. वरिष्ठता के आधार पर प्रत्येक वर्ग से अधिकतम 10 प्रतिशत कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक (पं.) संवर्ग को अध्ययन अवकाश की पात्रता होगी ।
2. जिला/जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही संबंधित को अध्ययन अवकाश प्रदान की जायेगी ।
3. अध्ययन अवकाश स्वीकृत करते समय यह भी ध्यान रखा जाना होगा कि अवकाश प्रदान करने के फलस्वरूप संबंधित शालाओं में अध्यापन कार्य प्रभावित न हो ।
4. अध्ययन अवकाश अवैतनिक स्वीकृत किया जायेगा ।
5. अवकाश समाप्ति के पश्चात् संबंधित को उसी शाला में पदस्थ किया जायेगा, जहां वे अवकाश के पूर्व कार्यरत थे ।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

छत्तीसगढ़ शासन के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11/8/2017

(एम.के.राउत)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. कमांक/पंचा.–1536/शिक्षा/2017/425 नया रायपुर, दिनांक 11.08.17
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
3. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
4. समस्त संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
5. आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संचालक, लोक शिक्षण, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ ।

अपर मुख्य सचिव 11/8/2017
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@nic.in OfficeTel.No.07868-241282,Fax No.07868-241482

पृ.क्रमांक/7246/जि.पं./शिक्षा पं. /2018 कांकेर, दिनांक 24/8/ 2018

प्रतिलिपिः-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत –......................जिला उ.ब.कांकेर को संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड-............................. जिला उ.ब.कांकेर को संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
उत्तर बस्तर कांकेर